UPMO010045902025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–4, मुरादाबाद।
विशेष सत्र परीक्षण संख्या–754/2025

राज्य बनाम गुलजार बी।

25–06–2026

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्ता गुलजार बी द्वारा राजस्व एवं शमन शुल्क जमा कर दिया गया है। विभाग द्वारा अभियुक्त को धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में पत्रांक 2704/वि0न0वि0खं0–2 मु0/अपराध शमन दिनांक 18–05–2026 जारी किया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–152 के तहत उपभोक्ता द्वारा कम्पाउडिंग शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत मामले को समाप्त किये जाने में कोई आपत्ति न होने का मौखिक कथन किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–152(2) में यह प्रावधान दिया गया है कि "उपधारा (1) के अनुसार धनराशि का संदाय कर दिये जाने पर, उस अपराध के संबंध में अभिरक्षा में रह रहे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जायेगा और ऐसे उपभोक्ता या व्यक्ति के विरूद्ध किसी दाण्डिक न्यायालय में कोई कार्यवाही संस्थित नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायगी।"

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 की उपधारा 3 यह प्रावधानित करती है कि किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया जाना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 300 के अर्थान्तर्गत दोषमुक्ति समझी जायेगी।

अधिशासी अभियंता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये गये पत्रांक 2704/वि0न0वि0खं0–2 मु0/अपराध शमन दिनांक 18–05–2026 के माध्यम से न्यायालय को सूचित किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के अभियुक्त से विभाग द्वारा शमन तथा राजस्व की धनराशि जमा करा ली गयी है तथा शमन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले को समाप्त किए जाने की याचना की गई है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त के विरुद्व इस विशेष सत्र परीक्षण की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

तद्नुसार अभियुक्ता श्रीमती गुलजार बी पत्नी अल्ताफ हुसैन द्वारा शमन व राजस्व शुल्क अदा करने के आधार पर उसके विरुद्ध इस विशेष सत्र परीक्षण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियामानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(अंचल लवानियॉ)
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।
(आई0डी0 नं0 यू0पी0 2411)